प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 **लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 2015**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत ओबरा जनपद सोनभद्र की पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-183/नागर-2/033-304/15 दिनांक 25.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत ओबरा जनपद सोनभद्र की पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 1633.45 लाख एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-3957/नो-5-2012-47बजट/2012, दिनांक 30.07.2013 द्वारा रू0 400.00 लाख की धनराशि, द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-4785/नौ-5-2014-47बजट/2012, दिनांक 19.08.2014 द्वारा रू0 906.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसका उपयोग हो जाने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रू0 245.00 (रू0 दो करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.07.2013 एवं 19.08.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

-2/

(10) अवशेष धनराशि कार्य योजना के गुणवत्ता के साथ पूर्ण होने सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर जारी की जा सकेगी।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-263/2015-4003(1)/नौ-5-15-47बजट/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/सोनभद्र।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7- मुख्य अभियंता (इला0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
8- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम सोनभद्र।
9- अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ओबरा जनपद सोनभद्र ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-30/07/2015

प्रेषण संख्या:- 263

आवंटन आदेश संख्या:- 001-263-2015-4003-9-5-15-47B-2012

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	24500000	24500000
		प्रगामी	62271000	62271000
	योग	वर्तमान	24500000	24500000
		प्रगामी	62271000	62271000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ बाइस लाख इकत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी